न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 1098/2017

वादी

1. वोरा पुत्र शिवजी जाति भाट निवासी भाटो की ढाणी, शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति जेतादेवी पत्नी सीताराम जाति भाट निवासी भाटो की ढाणी, शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सरदारसमन्द, जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

<u>उपस्थितिः</u>–

1. श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री आनन्दीलाल भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 उपस्थित।

दिनांक –22/07/2022

–: <u>निर्णय</u> :–

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा खामल, पटवार हल्का खामल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 66, 67 कुल खसरा 13 कुल रकबा 38.7500 हैक्टर किस्म बा.अ., गै.मु.बेरा, की कृषि भूमि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है, वादी के 1/5 हिस्सा यानि 7.75 हैक्टर की खातेदारी दर्ज है। वादी ने दिनांक 02.07.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 जेतादेवी पत्नी सीताराम जाति भाट निवासी भाटो की ढाणी शिवपुरा को उक्त वादग्रस्त भूमि का कुल रकबा 38.7500 हैक्टर में निहित अपने 1/5 हिस्से में से 1/8 हिस्सा यानि 1/40 हिस्सा अर्थात् 0.9687 हैक्टर जरिये बेचान रजिस्ट्री किया तथा शेष 6.7813 हैक्टर वादी का बदस्तुर रहा, जिस पर वादी आज भी काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/40 हिस्से का खरीदसुदा कृषि भूमि का नामान्तकरण हेतु पटवार हल्का खामल के समक्ष बेचान रजिस्ट्री प्रस्तुत की, तत्कालीन पटवारी हल्का ने बेचान रजिस्ट्री के आधार पर नामन्तकरण संख्या 977 दिनांक 05.02.2013 को खोलकर नामान्तकरण पंजिका में वोरा पुत्र शिवजी के 1/5 के स्थान पर जेतादेवी पत्नी सीताराम कौम भाट का 1/40 हिस्सा दर्ज किया तथा जमाबंदी सम्वत् 2067–70 में नामान्तकरण संख्या 977 के तहत परिविष्ट इन्द्राज की, जिसमें वोरा पुत्र शिवजी के बजाय वोरा पुत्र शिवजी व जेतादेवी पत्नी सीताराम कौम भाट दर्ज किया, शेष हिस्सा वोरा पुत्र शिवजी का बदस्तुर रहा। उक्त जमाबंदी सम्वत् 2067–70 का तहसील कार्यालय सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

में तत्कालीन एल.आर.सी. पटवारी द्वारा इन्द्राज करते वक्त उक्त कृषि भूमि में वादी वोरा पुत्र शिवजी का शेष हिस्सा दर्ज नहीं किया, बल्कि वोरा पुत्र शिवजी का सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 जेतादेवी पत्नी सीताराम के नाम सेवन एवं त्रुटिवश इन्द्राज कर रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से वादी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्ड से हट गया। उक्त गलत परिविष्टि को दुरस्त करना कानुनन आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस कारण वाद घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। दिनांक 12.09.2017 को वादी उक्त कृषि भूमि पर कृषि ऋण हेतु पटवारी हल्का खामल से मिला एवं अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी एवं भूमि प्रमाण पत्र की नकलो हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने रेकर्ड देखकर बताया कि आपके नाम से रेकर्ड में कृषि भूमि का खाता दर्ज नहीं है, तब वादी ने तहसील कार्यालय सोजत आकर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी, नामान्तकरण, बेचान रजिस्ट्री की नकले प्राप्त की तो वादी के जानकारी में आया कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी सम्वत् 2067–70 की पटवार हल्का की हस्तकल्मी जमाबंदी में वादी का नाम इन्द्राज है तथा वर्तमान जमाबंदी में वादी वोरा पुत्र शिवजी का शेष हिस्सा का बजाय प्रतिवादी संख्या 1 जेतादेवी पत्नी सीताराम के नाम त्रुटिवश इन्द्राज कर दिया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त गलती से वादी अपने तमाम हक हकुको से महरूम हो जायेगा। वादी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा कोई कृषि भूमि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से 0.9687 हैक्टर भूमि ही खरीद की, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की शाखा सरदारसमंद से वादग्रस्त कृषि भूमि के वादी के 6.7813 हैक्टर हिस्से पर भी कृषि ऋण प्राप्त कर लिया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 12.09.2017 को वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी द्वारा किसान कार्ड बनाने हेतु राजस्व रेकर्ड की जानकारी पटवारी हल्का खामल से प्राप्त करने से व तहसील कार्यालय से नकले प्राप्त करने से बमुकाम खामल में पैदा हुआ जो दावा अन्दर म्याद है। वादग्रस्त भूमि मौजा खामल पटवार हल्का खामल तहसील सोजत में स्थित होने से वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। इस प्रकार राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 का विरूद्ध प्रति0 पेश करे, सरहद मौजा खामल तहसील सोजत की खसरा संख्या 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 66, 67 कुल खसरा 13 कुल रकबा 38.7500 हैक्टर किस्म बा.अ., गै.मु.बेरा कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटवाया जाकर उसके स्थान पर वादी का 7/40 हिस्सा यानि 6.7813 हैक्टर भूमि तथा वादी द्वारा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 02.07.2012 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 का 1/40 हिस्सा यानि 0.9687 हैक्टर का इन्द्राज किया जाकर रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे व रेकर्ड दुरुस्त किया जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादीर फरमायी जावे कि वादी के 7/40 हिस्से की कृषि भूमि में वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करने, न ही अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी, नौकर, एजेन्ट इत्यादि से कराने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादीगण किसी भी तरह से किसी भी शख्स को विक्रय, बक्सीस या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करने, न इस पर कोई किसी तरह का भार सृजित करने,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

न कराने तथा रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 व 3 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 03/09/2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं0 02 को पर्याप्त अवसर देने पर भी ज0दा0 पेश करने में विफल रहने पर दिनांक 08.04.2021 को जवाब दावा पेश करने का अवसर बंद किया गया।

प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादव वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा बेचान रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1 है, जमाबंदी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–2 है, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 है, जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 प्रदर्श –4 है, पेश किये है। जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने हस्व वाद पत्र में दर्शित तथ्यों अनुसार सरहद मौजा खामल तहसील सोजत की खसरा संख्या 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 66, 67 कुल खसरा 13 कुल रकबा 38.7500 हैक्टर किस्म बा.अ., गै.मु.बेरा कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटवाया जाकर उसके स्थान पर वादी का 7/40 हिस्सा यानि 6.7813 हैक्टर भूमि तथा वादी द्वारा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 02.07.2012 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 का 1/40 हिस्सा यानि 0.9687 हैक्टर का इन्द्राज किया जाकर रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे व रेकर्ड दुरूस्त किया जाने तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 ने दर्ज रहन को यथावत कायम रखने हेतु व रहन का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से ही दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, शहादत वादीगण के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पीडब्ल्यु–1 वोरा तथा मुख्य परीक्षण एवं जिरह के कलम बद्ध किये गये बयानात आदि का गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा दिनांक 02.07.2012 के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 जेतादेवी पत्नी सीताराम को वादस्थ कृषि भूमि में अपने 1/5 हिस्से में सें 1/5 यानि सम्पूर्ण आराजीयात की कृषि भूमि का 1/40 हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री (पंजीबद्ध दस्तावेज) किया था जिसकी पुष्टि प्रदर्श–1 से होती है। उक्त बैचान के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 977 दिनांक 05.02.2013 में वोराराम पुत्र शिवजी, जेतादेवी पत्नी सीताराम का नाम दर्ज किया जाकर हिस्सा 1/40 दर्ज किया जाना प्रदर्श–3 से

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

स्पष्ट होता है। जबकि वोराराम पुत्र शिवजी 7/40 व जेतादेवी पत्नी सीताराम 1/40 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था । लिहाजा माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज वादी को वादस्थ भूमि में से 7/40 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 01 को 1/40 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी आदि करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा खामल, पटवार हल्का खामल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 66, 67 कुल खसरा 13 कुल रकबा 38.7500 हैक्टर किस्म बा.अ., गै.मु.बेरा, की कृषि भूमि में वादी को 7/40 हिस्से एवं माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 01 को 1/40 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के 7/40 हक हिस्से में प्रतिवादी संख्या 01 को दखल अन्दाजी आदि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तक तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर लेख्य भंण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ0 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. वोरा पुत्र शिवजी जाति भाट निवासी भाटो की ढाणी, शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राज0	1.	श्रीमति जेतादेवी पत्नी सीताराम जाति भाट निवासी भाटो की ढाणी, शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
	2	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सरदारसमन्द, जरिये शाखा प्रबन्धक।
	3	तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 1098/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता वादी तथा श्री आनन्दीलाल भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 02 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा खामल, पटवार हल्का खामल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 66, 67 कुल खसरा 13 कुल रकबा 38. 7500 हैक्टर किस्म बा.अ., गै.मु.बेरा, की कृषि भूमि में वादी को 7/40 हिस्से एवं माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 01 को 1/40 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के 7/40 हक हिस्से में प्रतिवादी संख्या 01 को दखल अन्दाजी आदि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तक तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/07/2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			